



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

28 भाद्र 1947 (श10)

(सं० पटना 1545) पटना, शुक्रवार, 19 सितम्बर 2025

सं० वन पर्या०-01/2013/54 (ई०)—प०व०
पर्यावरण एवं वन विभाग

संकल्प

28 जनवरी 2016

विषय:— मुंगेर जिले में वानिकी महाविद्यालय के स्थापनार्थ भवन निर्माण हेतु प्रारंभिक प्राक्कलित राशि कुल रुपये 2,31,83,82,001/- (दो अरब एकतीस करोड़ तिरासी लाख बेरासी हजार एक रुपये) मात्र की स्वीकृति एवं भवन निर्माण का कार्य भवन निर्माण विभाग के माध्यम से कराये जाने की स्वीकृति।

बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 6.87 प्रतिशत वनक्षेत्र एवं 12.86 वनाच्छादन है। राज्य में वानिकी/पर्यावरण तथा अन्य संबद्ध विषयों में शिक्षण, प्रशिक्षण एवं प्रबंधन की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय क्षरण, वैश्विक ताप अन्य प्राकृतिक आपदाओं से राज्य का एक बड़ा भू-भाग एवं जनसंख्या प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहा है। इसके उन्मूलन के लिए राज्य में पठन-पाठन, शिक्षण, प्रशिक्षण की व्यवस्था कर राज्य के वनाच्छादन को जहाँ वर्ष 2017 तक 15 प्रतिशत करने के लक्ष्य की प्राप्ति सुलभ हो सकेगी एवं इन शिक्षित/प्रशिक्षित, गुणी विशेषज्ञों से राज्य के वानिकी एवं कृषि में विकास कर राज्य की अर्थ व्यवस्था को सबल बनाने और बेरोजगारी दूर करने में सक्षम हो सकेंगे, जबकि इसके अभाव में राज्य की गरीबी के उन्मूलन में वन क्षेत्र की क्षमता का पूर्ण उपयोग अभी तक नहीं किया जा सका है।

2. उपरोक्त के आलोक में राज्य में एक वानिकी महाविद्यालय की स्थापना आवश्यक है। इस हेतु कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के अनुरूप बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर के स्वामित्व में मुंगेर जिला में उपलब्ध 105 एकड़ भूमि पर वानिकी महाविद्यालय की स्थापना का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। यह महाविद्यालय पर्यावरण एवं वन विभाग के अधीन संचालित होगा तथा इसकी संबद्धता बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर से होगी। इस महाविद्यालय में B.Sc. (Forestry), M.Sc. (Forestry), M.Sc. (Environmental Science), Certificate/Diploma Courses, Short Term Courses आदि चलाये जायेंगे तथा इसके लिए 34000 वर्ग मीटर में भवन का निर्माण किया जाना है, जिसमें प्रशासनिक भवन, पाठन/प्रशिक्षण भवन, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, हॉस्टल, विश्रामागार, खेल प्रांगण, कैन्टीन आदि अवस्थित होंगे।

3. इस महाविद्यालय के भवन निर्माण के लिए स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, योजना एवं विकास विभाग द्वारा तकनीकी अनुमोदित, प्रारंभिक प्राक्कलित राशि कुल रुपये 2,31,83,82,001/- (दो अरब एकतीस करोड़ तिरासी लाख बेरासी हजार एक रुपये) मात्र अनुमानित व्यय की, तथा इसके भवन निर्माण का कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा कराये जाने की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई है।

4. भवन निर्माण विभाग द्वारा उक्त भवन के निर्माण हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पर प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त भवन का निर्माण किया जायेगा।
5. इस राशि का व्यय मुख्य शीर्ष-4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूँजीगत परिव्यय- 01- वानिकी-070-संचार तथा भवन, मांग संख्या-19, 01 02-भवन, विपत्र कोड-P4406010700102 के विषय शीर्ष-27 01-लघु कार्य के अन्तर्गत अगामी वर्षों में उपबंधित राशि से किया जायेगा।
- आदेश- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विवेक कुमार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1545-571+10-डी0टी0पी0
Website: : <https://egazette.bihar.gov.in>